



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
चम्पावत।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT
Phone – fax 05965-230148 E-Mail: eepmgssychampawat@gmail.com

पत्रांक614...../03 पी0एम0जी0एस0वाई0

दिनांक०८../०७/२०१९

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषय में सादर अवगत कराना है कि यद्यपि मार्ग द्वारा संयोजित अन्तिम बसावट खाईकोट ग्राम पंचायत है किन्तु मार्ग का अन्तिम बिन्दु केवल खाईकोट ग्राम पंचायत के आवासीय क्षेत्र में ही समाप्त करने पर, ग्रामवासियों द्वारा उनके कृषि क्षेत्र एवं बगीचों में उत्पन्न अनाज एवं फल ग्रामवासियों द्वारा उनके खेत से बाजार तक पहुँचाया जाना सम्भवन नहीं होगा क्योंकि ग्राम पंचायत खाईकोट के आवासीय क्षेत्र से खेत एवं बगीचों की दूरी लगभग 2.000 से 2.500 कि०मी० की लम्बाई तक फैले हुए हैं जिस कारण मार्ग का अन्तिम बिन्दु खाईकोट ग्राम पंचायत के आवासीय क्षेत्र से आगे तक विस्तृत है, यद्यपि पी०एम०जी०एस०वाई० के मानकों द्वारा बसावटों को संयोजित करने की बात कही गयी है तथापि पी०एम०जी०एस०वाई० के मानकों को बनाने के पीछे का उद्देश्य ग्रामीण जनता के आर्थिक एवं सामाजिक हितों को साधने का रहा है।

अतः यदि मार्ग को खाईकोट ग्राम पंचायत के आवासीय क्षेत्र में ही सीमित कर दिया जाता है तो ग्रामवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास सम्भव नहीं है। पूर्व की भाँति ग्रामवासियों द्वारा उत्पन्न किया गया अनाज एवं फल उनके खेतों से बाजार तक न पहुँच पाने की स्थिति में काश्तकार को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पायेगा जबकि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दुगुनी करने पर विगत कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि विषयगत क्षेत्र खाईकोट ग्राम पंचायत भारत-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र हैं एवं इसी क्षेत्र में भारत-नेपाल समझौते के तहत पंचेश्वर बाध प्रस्तावित है, विषयगत मार्ग (चमदेवल से निडिल) को खाईकोट ग्राम पंचायत के आवासीय क्षेत्र से आगे विस्तृत करने पर यह मार्ग लोहाघाट-पंचेश्वर (अन्तराष्ट्रीय सीमावर्ती मार्ग) से जुड़ जाता है। अतः उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए मार्ग का विस्तार खाईकोट ग्राम पंचायत के आवासीय क्षेत्र से आगे तक किया गया है।

महोदय अवगत कराना है कि पी०एम०जी०एस०वाई० मानकों के अनुसार यदि किसी बसावट की पैदल दूरी बारहमासी मार्ग से पहाड़ी क्षेत्रों में 1.500 कि०मी० से कम है तो वह बसावट स्वयं संयोजित मानी जायेगी। अतः बसावट-जिन्डी सोराड़ (जनसंख्या-139) की, मार्ग के समरेखण से पैदल दूरी 1.500 कि०मी० से कम होने के कारण उक्त बसावट को लाभान्वित ग्रामों की सूची में सम्मिलित किया गया है।

अनुरोध है कि उपरोक्त कारणों का विचार कर मार्ग के वनप्रस्ताव की सैद्धांतिक स्वीकृति देने की कृपा करें।

C.S.
Kumar
अध्यापक वन प्रशासक
चम्पावत वन प्रभाग

भवदीय,



अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, (लो०नि०वि०) चम्पावत।

Handwritten signature

पत्रांक 615/03 पीएमजीआई

दिनांक 08/07/2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद चम्पावत में वनदेवल-निहित मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/10142/2015) की आपत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण के ऑनलाइन प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, देहरादून द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित की जा रही है।

क्र. सं.	आपत्तियां	निराकरण
1	मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम में मार्गदर्शी के पैरा 4.14 के तहत दिनांक 25.09.2017 में बन्द कर दिया गया है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।	खण्ड में अमीन की उपलब्धता न होने के कारण आपत्तियों के निराकरण में कुछ विलम्ब हुआ है। वन भूमि से सम्बन्धित खण्ड के अधिकारी, कर्मचारी को जानकारी का अभाव था। वर्तमान में कमियों/आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। भविष्य में आपत्तियां प्राप्त होने पर ससमय निराकरण करने हेतु अनुपालनार्थ अंकित किया गया है। अतः प्रकरण को पुनः Reopening of cases प्रावधानों के तहत Reopen करने के लिए अनुरोध किया जाता है।
2	In reply to point No. 08 and 10, as per the DSS report, 02 ha area selected for CA falls in VDF. State Government may submit the plantation scheme as per the Ministry guidelines dt. 08/11/2017	Certificate Authenticated by DFO has been uploaded in online part I.
3	Authority letter submitted at para A-3 (xvii) is not on the same person as the name provided at para A-3 (i), (ii) & (iii). State Government may remove this discrepancy.	Required Authority letter has been uploaded in para A-3 (xvii) of online part-I.
4	At para 06 Part II online 'Yes' is mentioned against brief note on vulnerability of the forest area to erosion Comments of DFO in this regard may be submitted.	Correction has been done by DFO.
5	State Government may upload the aerial distance certificate and tree enumeration list online.	Aerial distance certificate & tree enumeration list has been uploaded in online part-I of the proposal.

क्र० सं०	आपत्तियां	निराकरण
6	राज्य सरकार द्वारा मार्ग का अन्तिम छोर 'खायकोट मल्ला' दर्शाया गया है किन्तु KML file अनुसार प्रस्तावित मार्ग इससे आगे भी दर्शाया गया है। साथ ही लाभान्वित ग्रामों में जुन्डी सुराड़ी का नाम भी सम्मिलित किया गया है जिसकी जनसंख्या मात्र 139 है जो PMGSY के नार्मस के अनुसार पात्र नहीं है। अतः राज्य सरकार इस दिशा में टीप प्रस्तुत करें तथा प्रस्तावित मार्ग के geo-referenced digital map पर लाभान्वित ग्रामों को दर्शित कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।	सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय के पत्र संख्या 614/03 पी0एम0जी0एस0वाई0, दिनांक 08.07.2019 द्वारा संलग्न कर प्रेषित है।
7	इसके अतिरिक्त प्रस्तावित वन भूमि का बार चार्ट भी सही प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार सही बार चार्ट तैयार कर इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	प्रस्तावित वन भूमि का बार चार्ट उचित प्रतीत होता है, पुनः अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

C.S.
प्रमाणित वन प्रभाव सम्पादन

भवदीय
अधिसोसी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) चम्पावत।

स.स.
अ.स.